आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (वर्ष 1994 का अधिनियम संख्या 10) जिसे एतद्पश्चात् ''अधिनियम'' कहा गया है, में मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए तथा उससे सम्बद्व या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 21(1) में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, राजस्थान राज्य के लिए भी 18 जनवरी, 1999 को राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया है। जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति मार्च, 2000 में की गई।

सर्वप्रथम न्यायमूर्ति श्रीमती कांता भटनागर, पूर्व मुख्य न्यायाधिपति, मद्रास उच्च न्यायालय ने दिनांक 23.3.2000 से 11.8.2000 तक आयोग के अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला। उनके द्वारा पद से त्यागपत्र देने के उपरांत उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति माननीय सागीर अहमद इस पद पर दिनांक 16.2.2001 से 3.6.2004 तक आसीन रहे। इनके द्वारा भी पदत्याग करने के उपरांत, आयोग के ही माननीय सदस्य श्री अमरसिंह गोदारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधिपति अपनी सेवानिवृत्ति तक (दिनांक 06.07.2005 तक) आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष रहे। इनकी सेवानिवृत्ति उपरांत मद्रास एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधिपति श्री नगेन्द्र कुमार जैन को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिन्होंने दिनांक 16 जुलाई, 2005 को अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला।

आयोग में माननीय अध्यक्ष की नियुक्ति के अलावा श्री जगतसिंह,

पूर्व न्यायाधिपति, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं श्री धर्मसिंह मीणा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर को सदस्य के रूप में नियुक्ति दी गई। जिन्होंने क्रमशः दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 एवं 7 जुलाई, 2005 को आयोग कें माननीय सदस्यों के रूप में कार्यभार संभाला। दि. 15.4.2006 को श्री पुखराज सिरवी ने आयोग में सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला।

मानव अधिकार क्या हैं?

प्रत्येक व्यक्ति को समानता, स्वतंत्रता एवं गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार है जो भारतीय संविधान के भाग तीन में मूलभूत अधिकारों में वर्णित हैं। न्यायालय भी उसको मान्यता देता है। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के फलस्वरूप संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा भी स्वीकार किये गये हैं।

इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार, चिकित्सा सुविधा का अधिकार, अभिरक्षा में यातनापूर्ण और अपमानजनक व्यवहार न होने संबंधी अधिकार, महिलाओं के साथ सम्मानजनक व्यवहार का अधिकार, स्त्री, पुरुष, बच्चे व वृद्ध लोगों के समान अधिकार। इन अधिकारों का हनन जाति, धर्म, भाषा, लिंगभेद के आधार पर नहीं किया जा सकता। यह सभी अधिकार जन्मजात अधिकार हैं। इसके अलावा प्रत्येक 14 साल की उम्र तक के बच्चों को शिक्षा प्राप्ति एवं अपना समुचित विकास करने हेतु उपयुक्त अवसर पाने का अधिकार प्राप्त है व उनके हनन का मामला राज्य मानवाधिकार के कार्यक्षेत्र में आता है।

कल्याणकारी राज्य में सरकार का दायित्व बनता है कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिये प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जवाबदारी हो। सुशासन वह महत्वपूर्ण तत्त्व है, जो मानव अधिकारों की रक्षा को प्रभावी तौर पर सुनिश्चित करता है। बेहतर समाज के लिये जरूरी है, मानव अधिकारों का संरक्षण हो।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 2(घ) के अनुसार ''मानव अधिकारों'' से तात्पर्य संविधान द्वारा प्रत्याभूत अथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं में अर्न्तनिहित उन अधिकारों से है, जो जीवन, स्वतंत्रता,

समानता एवं प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा से संबंधित तथा भारत में न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से आशय संयुक्त राष्ट् महासभा द्वारा 16 दिसम्बर 1966 को अभिस्वीकृत, अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक एवं राजनीतिक अधिकर प्रसंविदा तथा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार प्रसंविदा से है।

राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां

आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, अर्थात् :–

क. स्वप्रेरणा से या किसी पीडित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर
   - मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की या,
   - किसी लोकसेवक द्वारा उस उल्लघंन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा,

ख. किसी न्यायालय के समक्ष लंबित मानव अधिकारों के उल्लंघन के किसी अभिकथन वाली किसी कार्यवाही में उस न्यायालय की अनुमति से हस्तक्षेप करेगा,

ग. राज्य सरकार को सूचना देने के अध्यधीन, राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का, जहां पर उपचार, सुधार या सरंक्षण के प्रयोजनार्थ व्यक्तियों को निरुद्ध किया जाता है या रखा जाता है, निवास करने वालों की जीवन दशाओं का अध्ययन करने एवं उस पर सिफारिशें करने के लिए निरीक्षण करेगा,

घ. मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी कानून द्वारा या उसके अधीन प्रावहित सुरक्षाओं का पुनरावलोकन करेगा तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिशे करेगा,

ङ. उन कारकों का, जिनमें उग्रवाद के कृत्य भी हैं, मानव अधिकारों के उपयोग में बाधा डालते हैं, पुनरावलोकन करेगा एवं उपयुक्त उपचारात्मक उपायों की सिफारिश करेगा,

च. मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान एवं उसे प्रोन्नत करेगा,

छ. समाज के विभिन्न खण्डों में मानव अधिकार साक्षरता का प्रसार करेगा तथा प्रकाशनों, साधनों (मीडिया) सेमीनारों एवं अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संराण के लिए उपलब्ध सुरक्षाओं के प्रति जागरूकता को विकसित करेगा,

ज. मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयत्नों को प्रोत्साहन देगा,

झ. ऐसे अन्य कृत्य करेगा जिन्हें वह मानव अधिकारों के संवर्द्धन के लिए आवश्यक समझेगा।

आयोग में निहित जांच से संबधित शक्तियां

अधिनियम के अन्तर्गत किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अन्तर्गत निम्नलिखित मामलों में, सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी :–

क. गवाहों को सम्मन जारी करके बुलाने तथा उन्हें हाजिरी हेतु बाध्य करने एवं उन्हें शपथ दिलाकर परखने के लिए,

ख. किसी दस्तावेज का पता लगाने और उसको प्रस्तुत करने के लिए,

ग. शपथ-पत्र पर गवाही देने के लिए,

घ. किसी न्यायालय अथवा कार्यालय से किसी सरकारी अभिलेख अथवा उसकी प्रतिलिपि की मांग करने के लिए,

ङ. गवाहियों तथा दस्तावेजों की जांच हेतु कमीशन जारी करने के लिए,

च. निर्धारित किए गए किसी अन्य मामले के लिए

क्या आयोग के पास अपना अन्वेषण दल है?

मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करने के लिए आयोग के पास अपना अन्वेषण दल है। अधिनियम के अन्तर्गत आयोग को इस बात की भी छूट प्राप्त है कि वह राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सके।

क्या आयोग स्वायत्तशासी निकाय है?

आयोग की स्वायत्तता इसके सदस्यों की नियुक्ति के ढंग, उनके कार्यकाल की स्थिरता और सांविधिक गारंटी, उनको दी गई पदवी और आयोग के लिए, जिसमें अन्वेषण अभिकरण भी शामिल है, स्टाफ की नियुक्ति का तरीका, कर्मचारियों के दायित्व और उनके कार्य निष्पादन से स्वयं स्पष्ट हो जाती है। आयोग की वित्तीय स्वायत्तता का वर्णन अधिनियम की धारा 33 में किया गया है।

आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष, गृहमंत्री एवं विधानसभा के विपक्ष के नेता सदस्य हैं, की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जाती है।

आयोग द्वारा शिकायतों की जांच किस प्रकार से की जाती है?

मानव अधिकारों के हनन से संबंधित शिकायतों की जांच करते समय आयोग राज्य सरकार अथवा उनके अधीन किसी अन्य प्राधिकरण अथवा संगठन से निर्दिष्ट तारीख तक अपेक्षित सूचना या रिपोर्ट मंगा सकता है, किन्तु यदि निर्दिष्ट तारीख तक आयोग को सूचना या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह अपनी ओर से स्वंय शिकायत की जांच कर सकता है। दूसरी ओर ऐसी सूचना या रिपोर्ट प्राप्त होने पर आयोग यदि संतुष्ट हो जाता है कि अब आगे कोई जांच करने की जरूरत नहीं है अथवा संबंधित राज्य सरकार या प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित जांच शुरू कर दी गई है तो वह, आमतौर से, ऐसी शिकायत पर आगे जांच नहीं करेगा

तथा तद्नुसार शिकायतकर्ता को तत्संबंधी कार्यवाही की सूचना दे देगा।

जांच के बाद आयोग क्या कार्यवाही कर सकता है?

जांच पूरी होने के पश्चात् आयोग निम्नलिखित में से कोई भी कार्यवाही कर सकता है :–

1. जांच से आयोग को जहां यह पता चलता है कि किसी लोकसेवक द्वारा मानव अधिकारों का हनन किया गया है अथवा उसने ऐसे हनन को रोकने की उपेक्षा की है तो ऐसी स्थिति में आयोग राज्य अथवा प्राधिकारी को संबंधित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन अथवा ऐसी अन्य कार्यवाही शुरू करने की, जो उचित हो, अनुशंसा कर सकता है,
2. आयोग उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय से ऐसे निर्देशों, आदेशों अथवा रिट के लिए, जो भी आयोग आवश्यक समझे, अनुरोध कर सकता है,?
3. आयोग पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके परिवार के सदस्यों को, जिसे भी आयोग आवश्यक समझे, राज्य सरकार अथवा प्राधिकारी से अंतरिम सहायता तत्काल देने की अनुशंसा कर सकता है।

शिकायत किस भाषा में की जा सकती है?

शिकायत हिन्दी, अंग्रेजी अथवा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भाषा में भेजी जा सकती है। शिकायते अपने आप में पूर्ण होनी चाहिए। शिकायतों के लिए कोई फीस नहीं ली जाती। आयोग जब भी आवश्यक समझे आरोपों के समर्थन में और अधिक सूचना भेजने तथा शपथ पत्र दाखिल करने की मांग कर सकता है। आयोग स्वविवेक से तार तथा फैक्स द्वारा भेजी गई शिकायतें भी स्वीकार कर सकता है। शिकायत आयोग के टेलीफोन नम्बर पर भी की जा सकती है (कृपया परिशिष्ट–क) का अवलोकन करें।

आयोग द्वारा किस प्रकार की शिकायतों पर कार्यवाही नहीं की जाती?

आमतौर से निम्न प्रकार की शिकायतों पर आयोग द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती :–

क. ऐसी घटनाएं जिनकी शिकायते उनके घटित होने के एक साल बाद की गई हों,

ख. ऐसे मामले जो न्यायालय में विचाराधीन हो,

ग. ऐसी शिकायते जो अस्पष्ट, बिना नाम अथवा छद्म नाम से की गई हों,

घ. ऐसी शिकायते जो तुच्छ प्रकृति की हों,

ङ. ऐसी शिकायते जो सेना से संबंधित मामलों के बारे में हो,

च. यदि किसी शिकायत पर अन्य सक्षम आयोग द्वारा पूर्व में ही कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी हो

छ. ऐसी शिकायत जो मूल रूप से किसी अन्य आयोग/अधिकारी/प्राधिकारी को संबोधित की गई हो ।

आयोग द्वारा प्राधिकारी/राज्य सरकार को भेजी गई रिपोर्ट/अनुशंसाओं के बारे में उनका क्या दायित्व है?

आयोग द्वारा प्राधिकारी/राज्य सरकार को भेजी गई समान्य प्रकार की शिकायतों पर अपनी टिप्पणी/की गई कार्यवाही की सूचना आयोग को एक महीने के भीतर भेजनी होती है ।

आयोग के अब तक के कार्यो का केन्द्र बिन्दु (फोकस) क्या है?

आयोग के कार्यक्षेत्र में सभी प्रकार के मानव अधिकार आते हैं जिनमें नागरिक, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल हैं। आयोग हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार, उत्पीडन, पुलिस और जेलों

में ढांचागत सुधार, सुधारगृहों, मानसिक अस्पतालों की हालत सुधारने के मामलों पर विशेष ध्यान दे रहा है।

समाज के सबसे अधिक कमजोर वर्ग के लोगों के अधिकारों के संरक्षण करने की दृष्टि से, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चें को आवश्यक तथा निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, गरिमा के साथ जीवन व्यतीत करने, माताओं और बच्चों के कल्याण हेतु प्राथमिक सुविधाएं सुनिश्चित करने, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे कि पेयजल, खाद्य पदार्थो को उपलब्ध कराने की, आयोग ने सिफारिशें की हैं। समानता और न्याय का हनन कर, नागरिकों के खिलाफ किए जा रहे अत्याचारों, विस्थापित हुए लोगों की समस्याओं और भूख के कारण लोगों की मौंते, बाल श्रमिकों का शोषण, बाल वेश्यावृत्ति, महिलाओं के अधिकारों, अपंगों के अधिकारों, धार्मिक असहिष्णुता के मुद्दे और अल्पसंख्यकों के अधिकारों आदि पर आयोग ने अपना ध्यान केन्द्रित किया है।

आयोग द्वारा शुरू किए गए अन्य प्रमुख कार्य

अपनी व्यापक रूप से बढती हुई जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए आयोग ने शिकायतों की जांच के अलावा निम्नलिखित कार्यो को भी अपने हाथ में लिया है :

नागरिक स्वतंत्रताएं

1. पुलिस द्वारा गिरफतार करने के अधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए दिशा–निर्देश।
2. जिला मुख्यालय पर ''मानव अधिकार सेल'' की स्थापना।
3. हिरासत में हुई मौतों, बलात्कार और मानवीय उत्पीडन को रोकेने के उपाय।
4. व्यवस्थागत सुधार : 1. पुलिस 2. जेल 3. नजरबंदी केन्द्र।
5. माताओं में अल्परक्तता और बच्चों में जन्मजात मानसिंक अपंगतस की रोकथाम।

6. एचआईबी / एड्स से पीडित लोगों के मानव अधिकार।
7. मानसिक अस्पतालों की गुणवता में सुधार।
8. हाथ से मैला ढोने की प्रथा समाप्त करने के लिए प्रयास।
9. गैर–अनुसूचित और खानाबदोश जनजातियों के अधिकारों का संरक्षण करने के लिए सिफारिशे करना।
10. जनस्वास्थ्य प्रदूषण नियंत्रण, खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम, औषधियों में मिलावट व अवधिपार औषधियों पर रोक।
11. धर्म, जाति, उपजाति आदि के बहिष्कार के मामलात।
12. मानव अधिकारों की शिक्षा का प्रसार और अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्वि।

❑ ❑

"मनुष्य स्वतन्त्र पैदा हुआ है लेकिन सर्वत्र,
वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है।"

(रुसो)

✯

"मानवता" को विकसित करने,
हों रक्षित मानवअधिकार।
जन–हित, गाँधी द्वारा कल्पित,
रामराज्य तब हो साकार॥

✯

महिला में हो जब विश्वास।
तेजी से हो देश का विकास॥

क्या आप चाहते हैं कि आपके परिवाद/शिकायत पर आयोग द्वारा शीघ्र प्रभावी कार्यवाही हो?

यदि हाँ, तो कृपया अपने परिवाद/शिकायत में यथासंभव निम्न सूचना अवश्य अंकित करें :-

(क) पीड़ित व्यक्ति का नाम, पिता/पति का नाम, जाति, निवास का पता/गाँव/शहर, डाकघर, पुलिस थाना, जिले सहित।
(ख) जिस व्यक्ति/अधिकारी/कार्यालय के विरुद्ध शिकायत है, उसका पूरा विवरण।
(ग) शिकायत/घटना/उत्पीड़न का पूरा विवरण (घटना, स्थान, तारीख, महीना, वर्ष सहित।
(घ) घटना की पुष्टि करने वाले साक्षियों के नाम-पते, यदि ज्ञात हो तो।
(ङ) घटना की पुष्टि करने में दस्तावेजी सबूत, यदि कोई हो तो।
(च) यदि किसी अन्य अधिकारी/कार्यालय/मंत्रालय को शिकायत भेजी हो तो उसका नाम एवं उस पर यदि कोई कार्यवाही हुई हो तो उसका विवरण।
(छ) क्या आपने पूर्व में इस आयोग या राष्ट्रीय आयोग में इस विषय में कोई शिकायत की है? यदि हाँ, तो उसका विवरण एवं परिणाम।
(ज) क्या इस मामले में किसी फौजदारी/दीवानी/राजस्व अदालत में या विभागीय कोई कार्यवाही हुई या लम्बित हैं? हाँ, तो उसका विवरण।

नोट : कृपया परिवाद/शिकायत पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ चिन्ह लगाना नहीं भूलें।

परिवाद/शिकायत अध्यक्ष/सचिव, राजस्थान मानवाधिकार आयोग, जयपुर के पते पर भिजवाएं।

आयोग का संगठनात्मक संरचना (06.07.2005)

1.	न्यायमूर्ति एन.के. जैन	अध्यक्ष
2.	न्यायमूर्ति जगतसिंह	सदस्य
3.	श्री धर्मसिंह मीणा	सदस्य
4.	श्री पुखराज सिरवी	सदस्य
	श्री गिरीराज सिंह	सचिव

आयोग का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी आयोग का सचिव है। आयोग के अन्वेषण कार्य के लिये महानिरीक्षक स्तर का एक पुलिस अधिकारी नियुक्त है।

सम्पर्क सूत्र :

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, जयपुर

टेलीफोन : 0141-2227868 (अध्यक्ष)
2227565 (सचिव), 2227738 (फैक्स)।

E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in

Human Rights
Legal Literacy & Awareness Series - 5 3/2006

आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया

न्यायमूर्ति एन.के. जैन
चैयरपर्सन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग
एस.एस.ओ. बिल्डिंग
शासन सचिवालय, जयपुर

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन

मानवाधिकार साक्षरता का प्रसार, जागरूकता एवं अधिकारों के संरक्षण हेतु राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जनोपयोगी प्रकाशन :-

1. मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की पुस्तिका।
2. आयोग की कार्यविधि की जानकारी हेतु ब्रोसर।
3. राज्य आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियां एवं प्रसंज्ञान लेने वाले प्रकरणों की जानकारी संबंधी लघु पुस्तिका।
4. मानवाधिकार संरक्षण लघु पुस्तिका।
5. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2000-2002.
6. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003.
*7. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2003-2004.
8. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2004-2005.
9. आयोग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006.
10. त्रैमासिक न्यूज लेटर संयुक्तांक/विशेषांक- 2005.
11. त्रैमासिक न्यूज लेटर अप्रेल 2006 से जून 2006.
12. लघु पुस्तिकाएं
    - (i) बालकों के अधिकार।
    - (ii) अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसम्बर।
    - (iii) एच.आई.वी. एड्स एवं मानवाधिकार।
    - (iv) मानवाधिकार और जैन धर्म।
    - (v) आयोग की कार्यविधि, शक्तियां एवं परिवादों की निरस्तारण प्रक्रिया।
    - (vi) आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं अन्य गतिविधियाँ।
    - (vii) भारतीय संविधान की अनुच्छेद-21 'प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण'।
    - (viii) महिलाओं के अधिकार- संबंधित अधिनियमों की संक्षिप्त जानकारी।